कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

E-mail id – deobalodabazar12@gmail.com

क्रमांक / मान्यता / 2019 336 बलौदाबाजार दिनॉक 20/5/19

प्रति,

डेल्ही वर्ल्ड पब्लिक स्कूल खम्हरिया (भाटापारा) **अस्थाई मान्यता सत्र 2019–20**

श्री नारायणी एजुकेशनल एण्ड चैरीटेबल ट्रस्ट **मान्यता क्रमांक – 299 / 441**

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

———000———

महोदय / महोदया

आपका आवेदन पत्र दिनांक 30 / 12 / 2018 के सदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के उपरान्त **डेल्ही वर्ल्ड पब्लिक स्कूल खम्हरिया (भाटापारा)** (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 01.04.2019 से 31.03.2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए, कक्षा नर्सरी से आठवीं तक (माध्यम – अंग्रेजी) के लिए निम्नांकित शर्तो के अधिन अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता / संबध्दन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(परिशिष्ट –एक) और निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009(परिशिष्ट–दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह भी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–
   - 01 प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निषकिसत नहीं किया जायेगा।
   - 02 किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।
   - 03 प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   - 04 प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
   - 05 अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
   - 06 अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है।
   - 07 अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
   - 08 अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–
   - 01 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
   - 02 खेल के मैदान का क्षेत्रफल
   - 03 कक्षाओं की संख्या

PRINCIPAL
Delhi World Public School
Bhatapara (C.G.) - 493118

MANAGER
Delhi World Public School
Bhatapara (C.G.) - 493118

Scanned with CamScanner